DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Friday, 1st April, 2011/Chaitra 11, 1933 (Saka)

No. 117

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Dy. Commissioner of Police, Central Distt., Delhi:-

"I have the honour to inform you that Hon'ble Members of Legislative Assembly Delhi; Shri Sat Prakash Rana, Shri Daharam Deo Solanki, Shri Pradyumn Rajput, Shri Mohan Singh Bisht, Shri Anil Jha, Shri Srikrishan Tyagi, Shri Sahab Singh Chauhan and Shri Ramesh Bidhuri were detained u/s 65 of Delhi Police Act 1978 while they were attempting to cross the police barricades put in place to prevent their march towards Delhi Secretariat along with supporters from Pyare Lal Bhawan, ITO, Delhi at 1250 hours on 29.03.2011.

They were released at 1310 hours from the same place on the same day".

P. N. MISHRA Secretary

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2 विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी शक्रवार, 01 अप्रैल, 2011/चैत्र 11, 1933(शक)

संख्या-117

सदस्य की गिरफतारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष,दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलिस आयुक्त, मध्य जिला, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

मुझे आपको ससम्मान यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों श्री सतप्रकाश राणा, श्री धर्मदेव सोलंकी, श्री प्रद्युम्न राजपूत, श्री मोहन सिंह बिष्ट, श्री अनिल झा, श्री श्रीकृष्ण त्यागी, श्री साहब सिंह चौहान एवं श्री रमेश बिधूड़ी को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा- 65 के अन्तर्गत उनके समर्थकों सहित दिल्ली सचिवालय की ओर प्रस्थान करने से रोकने के लिए रखे गए पुलिस बैरिकेड्स को पार करने का प्रयास करने पर प्यारे लाल भवन, आई.टी.ओ, दिल्ली से 29. मार्च, 2011 को 12.50 बजे गिरफतार किया गया।

उन्हें, उसी दिन, उसी स्थान से 13.10 बजे रिहा कर दिया गया।

पी. एन. मिश्रा सचिव